09/11/25

प्रार्थनी (प्रश्नकर्ता) वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी/वादीगण को बार-बार फोन कर न्यायालय समय में न्यायालय समय समाप्ति तक 10, 11, 12, 01, 02, 03, 04, 05 बजे तक आवाजें लगवाई गई। बावजूद वकील वादी/वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील वादी का बाद आज्ञप्ति अग्रिम पेशी में पारित किया जाता है। प्रार्थनी पत्र अग्रिम अधिकार पोषण सुरक्षित रखकर खारिज किया जाता है।

कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:24:17 IST
Reason: SelfAttested